बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

बिहार नगरपालिका भवन की योजना स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार नियमावली, 2014

सं.–5/न.विधि–01/2014 884 न.वि. एवं आ. विभाग/बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–419 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा–314, 315, 316 और 317 में यथा प्रावधानित नगरपालिका क्षेत्र के भीतर भवन निर्माण योजना की स्वीकृति हेतु बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–**

(1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका भवन की योजना स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ। –**

(i) "अधिनियम" का अर्थ है, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय–समय पर यथा संशोधित)।
(ii) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ वही होंगे जो उसके लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित किये गये हों।

3. **सक्षम प्राधिकार।–** अधिनियम की धारा–314,315,316 और 317 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकार संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी होगा।

4. **भवन की योजना की स्वीकृति।–** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, भवन की योजना की स्वीकृति के पूर्व, भवन निर्माण योजना की जाँच या सत्यापन करेगा तथा स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि भवन निर्माण योजना, भवन उपविधि के प्रावधानों एवं इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अन्य प्राचलों के अनुरूप है। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सम्यक सत्यापन एवं जांच की प्रकिया पूर्ण करने के बाद भवन की योजना को स्वीकृत करेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

7/4/2014
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– सं.–5/न.विधि–01/2014 884/न0वि0एवं आ0वि0 /पटना, दिनांक–07-4-2014

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई गजट कोषांग, बिहार पटना को सी.डी. के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

7/4/2014
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– सं.–5/न.विधि–01/2014 884/न0वि0एवं आ0वि0 /पटना, दिनांक– 07-4-2014

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिलापदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 7/4/2014
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– सं.–5/न.विधि–01/2014 884/न0वि0एवं आ0वि0 /पटना, दिनांक–07-4-2014

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 7/4/2014
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– सं.–5/न.विधि–01/2014 884/न0वि0एवं आ0वि0 /पटना, दिनांक–07-4-2014

प्रतिलिपिः–विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–निदेशक/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी उप निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 7/4/2014
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं.–5/न.विधि–01/2014 884 न.वि. एवं आ. विभाग/बिहार नगरपालिका भवन की योजना स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार नियमावली 2014 का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड–(3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

7/4/2014

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar

Urban Development &Housing Department

Notification

Bihar Municipal Competent Authority for Sanction of Building Plan Rules, 2014

No.–5/N.Bidhi–01/2014 885 In exercise of the powers conferred by section 419 of Bihar Municipal Act, 2007 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for sanction of Building Plans within the Municipal area as provided in section – 314,315,316 and 317 of the said Act :-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called Bihar Municipal Competent Authority for Sanction of Building Plan Rules, 2014.

   (2) It shall extend to the Municipal Area within the whole State of Bihar.

   (3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.** – **(i)** "Act" mean the Bihar Municipal Act 2007 (as amended from time to time)

   (ii) Words used in these rules shall have the same meaning as respectively which are assigned to them in the Bihar Municipal Act 2007.

3. **Competent Authority.**- The "Competent Authority" mentioned under section 314,315,316 and 317 of the Act shall be The Chief Municipal Officer of the concerned Municipal Area.

4. **Sanction of Building Plan.**- The Chief Municipal Officer shall verify, enquire and satisfy himself before the sanction of Building Construction Plan that the

Building Construction Plan is inconfirmity with the provisions of the Building Bye Laws and other parameters required under this Act. After due verification and completing the process of enquiry, the Chief Municipal Officer shall sanction the Building Plan.

By order of the Government of Bihar

7/4/2014
Secretary
Urban Development &Housing Department.

Memo No.- 885 Date- 07/04/14

Copy forwarded to superintendent, secretariat, printing Press, Gulzarbag, Patna / E-Gazette cell, Finance Department with CD Publication in the extra ordinary of E-Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gaette for official use immaterially.

7/4/2014
Secretary
Urban Development &Housing Department

Memo No.- 885 Date- 07/4/14

Copy forwarded to Chief Secretary, Bihar, Patna / All Principle Secretary/ Secretary / Head of the Department / All Divisional Commissioner /All Deistic magistrate / Managing Director Bihar State Housing Board, Patna for Information and necessary action.

7/4/2014
Secretary
Urban Development &Housing Department

Memo No.- 885 Date- 07.4/14

Copy forwarded to Principle Secretary to Chief Minister of Bihar / Private Secretary to Minister Urban Development &Housing Department for information and necessary action.

7/4/2014
Secretary
Urban Development &Housing Department

Memo No.- 885 Date- 07.04/14

Copy forwarded to PS to Departmental Secretary / Joint Secretary-cum-Director / Additional Secretary / Joint Secretary / Dy. Secretary / All Dy. Director / All Section Officer Urban Development &Housing Department for information and necessary action.

7/4/2014
Secretary
Urban Development &Housing Department